न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 37/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/482

अनवान्

1. श्रीमती कला उर्फ कमला पत्नी श्री भवरलाल जी अहीर निवासी नीमडी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..............प्रार्थीया

बनाम

1. श्री गौतमलाल पिता धूलचन्द जी जैन (महाजन ओसवाल) निवासी कुथवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. मृतक श्री देवा पिता लक्ष्मण जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर के बजाय

2/1 श्री मीठुलाल पिता देवाजी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2 श्री पन्नालाल पिता देवा जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/3 श्री शान्तिलाल पिता देवा जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/4 श्रीमती कमा पुत्री देवा जी निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/5 श्रीमती भगु पुत्री देवा जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3. श्री चुनिया पिता लक्ष्मण जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री हीरा उर्फ हीरालाल पिता लक्ष्मण जी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री गोदा पिता लक्ष्मण अहीर के बजाय

5/1 श्रीमती केशीबाई पत्नी निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

5/2 श्री पवन पुत्र गोदा निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

5/3 श्री राजु पुत्र गोदा निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

5/4 श्री उकार पुत्र गोदा निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

6. श्री रामलाल पिता भागुजी अहीर निवासी हमेरपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–25.10.2024

1. प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा हमेरपुरा पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील वल्लभनगर में विपक्षी सं. 2 से 6 की आ.न. 567 रकबा 4 बिघा 9 बिस्वा एवं 568 रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा स्थित ... कर उक्त आराजीयात पुर्व में देवा, चुनिया, हीरा, गोदा पिता लक्ष्मण जी अहीर ... एवं रामलाल पिता भागु जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

अहीर 1/2 हिस्सा से राजस्व रेकर्ड में अंकित थी तथा उक्त आराजीयात में से आराजी न. 567 रकबा 4 बिघा 9 बिस्वा रामलाल पिता भागु जी अहीर के हिस्से एवं कब्जे में बाहमी बंटवाडे से रखी गयी तथा आ.न. 568 रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा विपक्षी सं. 2 से 5 के हिस्से एवं कब्जे में रखी गयी थी। इस प्रकार आ.न. 607/2 रकबा 7 बिघा 6 बिस्वा देवा, चुनिया, हीरा, गोदा पिता लक्ष्मण जी 1/2 एवं रामलाल पिता भागु अहीर 1/2 हिस्सा से राजस्व रेकर्ड में अंकन थी तथा माफिक हिस्सा विपक्षी स. 2 से 6 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त करवा रहे थे।

2. यह कि विपक्षी सं. 2, 3, 4 से आ.न. 567, 568 का 3/8 हिस्सा विपक्षी स. 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2000 को क्रय किया किन्तु मौके पर विपक्षी स. 2, 3, 4 का हिस्सा आ.न. 568 में होने से विपक्षी स. 2 से 4 ने विपक्षी स. 1 को आ.न. 568 रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा का 3/4 हिस्सा सिपुर्द किया इस प्रकार विक्रय पत्र के आधार पर एवं मौके पर हिस्से के आधार पर काबिज हो काश्त करने लगें तथा कथित विक्रय पत्र में आ.न. 569 रकबा 10 बिस्वा आ.चा. का 3/8 हिस्सा भी विपक्षी स. ने विपक्षी स. 2, 3, 4 से अपनी उक्त आराजी की पिलायी हेतु क्रय किया एवं इसी अनुसार विपक्षी स. 1 उक्त आ.चा से अपनी क्रयशुदा आराजी न. 568 की पिलायी करता रहा। उक्त रजिस्ट्री विक्रय पत्र में सहवन से आराजी न. 567 568 के स्थान पर आ.न. 607/2 का अंकन हो गया जबकि कब्जा आ.न. 568 के 3/4 हिस्से पर सिपुर्द किया गया एवं आ.न. 568 का 3/4 हिस्सा ही क्रय किया गया।

3. यह कि वर्णित आ.न. 567, 568 का 3/8 हिस्सा यानि आ.न. 568 का 3/4 हिस्सा जो विपक्षी सं. 1 ने विपक्षी सं. 2 से 5 द्वारा क्रय किया वह हिस्सा प्रार्थीया ने विपक्षी स. 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2007 को क्रय कर उक्त आ.न. 568 के 3/4 हिस्से पर मय चाह न. 569 के 3/8 हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया। इस प्रकार आ.न. 568 के 3/4 हिस्से पर एवं आ.चा. न. 569 के 3/8 हिस्से पर दिनांक 07.09.2000 से 11.07.2007 तक विपक्षी सं. 1 काबिज था एवं उसके बाद दिनांक 12.07.2007 से आज तक प्रार्थीया काबिज हो काश्त करवा रही है। इस पर अन्य किसी का हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है किन्तु सहवन से जो आ.न. 607/2 रकबा 7 बिघा 6 बिस्वा विपक्षी स. 1 के नाम पर आयी उसी आराजी का अंकन प्रार्थीया द्वारा लिखाये गये विक्रय पत्र में भी अंकन हो गया एवं इसी प्रकार नामान्तरण भी विक्रय पत्र के आधार पर गलत पास हो गया। जबकि प्रार्थीया आ.न. 568 के 3/4 हिस्से पर काबिज है तथा आ.न. 568 की पिलायी आ.चा. न. 569 से होती है। विदित रहे कि आ.न. 607/2 रकबा 7 बिघा ... न. 569 से काफी दुर है तथा असिंचित है जो ... स. 1 द्वारा क्रय नहीं की गयी मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

सहवन से विक्रय स. 1 द्वारा क्रय नहीं की गयी मात्र सहवन से विक्रय पत्र में अंकन हो गया है।

4. यह कि वादग्रस्त आ.नं. 568 रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण का विपक्षी स. 2 से 6 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकन है जिससे विपक्षी संख्या 2 से 6 प्रार्थीया को एलानिया धमकी देते है कि वादग्रस्त आराजी उनके खातेदारी में होने से वे उसे जबरन बेदखल कर देंगे तथा अन्य व्यक्तियों को रहन, बेह, बक्षीस आदि तरीके से हस्तान्तरित कर देंगे जिससे प्रकरण में विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। विपक्षी संख्या 2 फौत होने से विपक्षी संख्या 2/1 से 2/5 विपक्षी संख्या 2 के वारिसान है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 4 की तरफ से जवाब व विपक्षी संख्या 3, 5/2, 5/3, 6 की तरफ से जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया व शेष विपक्षीगण की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। शेष विपक्षीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 व विपक्षी संख्या 3, 5/2, 5/3, 6 द्वारा पेश जवाब के अध्ययन के पश्चात संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हमेरपुरा पटवार हल्का भोपाखेडा में विपक्षी संख्या 2 से 6 की आराजी होना स्वीकार। यह भी सही है कि उक्त आराजी में देवा, चुन्नीलाल, हिरा, गोदा पिता लक्ष्मण अहीर का 1/2 हिस्सा व रामलाल पिता भागु अहीर का 1/2 हिस्सा अंकित होना स्वीकार लेकिन उक्त कलम में यह कथन मिथ्या होने से अस्वीकार कि आराजी नंबर 567 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा रामलाल पिता भागु जी अहिर के हिस्से एवं कब्जे में वाहमी बंटवाडे में आई हो तथा आराजी नं. 568 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा विपक्षी संख्या 2 से 5 के हिस्से व कब्जे में वाहमी बंटवाडे से आई हो।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित यह कथन गलत होने से अस्वीकार की विपक्षी संख्या 2, 3, 4 से आराजी न. 567, 568 का 3/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2000 को क्रय किया किन्तु मौके पर विपक्षी संख्या 2, 3, 4 का हिस्सा आराजी नंबर 568 में होने से विपक्षी संख्या 2 से 4 ने विपक्षी संख्या 1 को आराजी न. 568 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा का 3/4 हिस्सा सिपुर्द किया यह भी मिथ्या है कि उक्त कारण से विपक्षी संख्या 1 आराजी नं 568 के 3/4 हिस्से पर काबिज हो काश्त करने लगे। वास्तव में विपक्षी संख्या 1 द्वारा आराजी न. 607/2 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा आराजी जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के खरिदी गई थी।

7. यह कि यह हास्यास्पद है कि विक्रय पत्र [illegible] न. 567, 568 के स्थान पर आराजी न. 607/2 का अंकन हो गया [illegible] मिथ्या [illegible] मौके पर आराजी नं. 568

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

का 3/4 हिस्से को सिपुर्द किया और इसी हिस्से को विपक्षी संख्या 1 ने खरीदा ... जबकि उभय पक्ष द्वारा विक्रय पत्र को स्टाम्प पर निष्पादित किया जाकर पढ़ सुन समझ, स्वच्छचित्त अवस्था में साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर विधिवत निष्पादित किया और तदुपरान्त पंजियन कार्यालय में विक्रय पत्र का विधिवत पंजीयन किया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कथन न केवल मिथ्या है बल्कि हास्यास्पद है। जब विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को आ.राजी न. 568 का 3/4 हिस्सा विक्रय ही नहीं किया गया तो विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया को उक्त आराजी का विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं, उक्त कलम में यह कथन सामान्यतया स्वीकार योग्य नहीं है कि सहवन से विक्रय पत्र में आराजी न. 607/2 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा अंकित हो गये उक्त कथन कानूनन स्वीकार योग्य नहीं उक्त कलम में यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं की सहवन से नामान्तरण भी विक्रय पत्र के आधार पर गलत अंकित हो गया जबकि विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीया को आराजी नं. 607/2 रकबा 7 बिघा 6 बिस्वा तथा आराजी न. 569 रकबा 10 बिस्वा का 3/8 हिस्सा विक्रय किया और विपक्षी संख्या 2, 3, 4 ने उक्त आराजी को ही विपक्षी संख्या 1 गौतम को विक्रय कर कब्जा दिया और विपक्षी संख्या 1 ने भी प्रार्थीया की उक्त आराजी का विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया दोनो विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया। दोनो विक्रय पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा ही कानूनन किया जा सकता है इस कारण दोनों विक्रय विलेख के द्वारा ही कानूनन किया जा सकता है इस कारण प्रार्थीया का उक्त कथन विधि सम्मत नहीं होने के कारण चलने योग्य नहीं हैं। आराजी संख्या 569 से आराजी संख्या 604 की सिचांई होती है, यही नहीं 3/8 सिचाई के हिस्से में से 1/8 हिस्सा पिलाई चंदनवाला को बेचा है उसके बाद आराजी न. 604 को देवा व चुन्नीलाल ने 2/8 हिस्सा भंवरलाल पिता चुन्नीलाल कसं विक्रय किया जो की कला उर्फ कमला का पति है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया के मन में बदनियती आ गई है।

8. यह कि आराजी 568 रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण विपक्षी संख्या 2 से 6 के नाम से सही अंकित है। यह मिथ्या है कि उक्त आराजी के 3/4 हिस्से का स्वामित्व, आधिपत्य एवं हक प्रार्थीया का हो जब उक्त आराजी को विपक्षी द्वारा विक्रय किया ही नहीं गया तो प्रार्थीया का कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं है जबकि उसे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के उक्त दिनांक को आराजी नं. 607/2 विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया, उक्त कारण से विवादित आराजी बाबत् किसी प्रकार की धमकी देने, विक्रय करने की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं है।

9. विपक्षी संख्या 4 द्वारा वि... कमिश्नर रिपोर्ट बाबत् विपक्षीगणों को किसी प्रकार की सुचना ... उनके पक्ष जाने एकतरफा वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति भिन्न विवादित स्थल की रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट में विवादित स्थल की आराजी पर प्रार्थीया के कहे अनुसार कब्जा उसका बता दिया गया। रिपोर्ट में कहीं पर भी न तो प्रार्थीया के न ही किसी पडौसी के कथनों का अंकन किया पडौसी ने प्रार्थीया का कब्जा बताया यह भी कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित नहीं है यहा तक की कहीं पर भी प्रार्थीया एवं स्वतंत्र मौतबिर, पडौसी के हस्ताक्षर नहीं है साथ ही न्यायालय द्वारा कब्जे बाबत् कमिश्नर महोदय को किसी प्रकार का आदेश भी नहीं दिया गया फिर भी एक तरफा प्रार्थीया का कब्जा बता दिया गया जबकि उसका कब्जा उस लिखित आराजी संख्या 607/2 व आराजी न. 569 का 3/8 पर है जिसकी पुष्टि की प्रार्थीया के स्वयं के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र व बाद में खुलवाये नामान्तरण, जमाबन्दी आदि महत्वपूर्ण राजकीय दस्तावेजो से होती है केवल प्रार्थीया के मौखिक कथन पर उसका कब्जा मान लिया गया जो स्वीकार योग्य नहीं है यहां यह स्पष्ट करना भी न्यायोचित है कि कमिश्नर द्वारा किसी भी पक्ष के कब्जे के संबंध में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती इस कारण उस भाग तक रिपोर्ट साक्ष्य में अग्राह्य है।

10. यह कि कमिश्नर द्वारा प्रार्थीया के हितबद्ध एवं साक्ष्य इकठा करने की नियत से कमिश्नर रिपोर्ट बनाई जो अस्वीकार योग्य है। कमिश्नर रिपोर्ट में कब्जे के बिन्दु पर विपक्षी के पक्ष में राजकीय दस्तावेज के साथ विक्रय पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। प्रार्थीया के पूर्वाधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आराजी न. 607/2 रकबा 7 विघा 6 विस्वा व आराजी न. 569 रकबा 10 विस्वा का 3/9 वा हिसा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया और इसी आराजी को बाद में प्रार्थीया ने विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था उसके बाद प्रार्थीया द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन करने पर उसके नाम उक्त आराजी का नामान्तरण भी खुल गया है ऐसी स्थिति में धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रार्थीया विबन्धन के सिद्धान्त के अनुसार उसके द्वारा दस्तावेज में किये गये कथनों के विपरित कथन करने हेतु विवर्धित है।

11. प्रकरण में विपक्षी संख्या 3, 5/2, 5/3, 6 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हमेरपुरा पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में आराजी न. 567 रकबा 4 बिघा 9 विस्वा तथा आराजी न. 568 रकबा 4 बिघा 5 विस्वा स्थित होकर उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में विपक्षी देवा, चुन्नीया, हीरा, गोदा पिता लक्ष्मण जी अहीर 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी रामलाल पिता भागु जी अहीर के नाम 1/2 हिस्सा अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त आराजी में विपक्षी देवा, चुन्नीया, हिरा, गोदा का 1/2 हिस्सा व विपक्षी रामलाल का 1/2 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार विपक्षीगण संयुक्त रूप से काबिज हो कब्जा करते चले आ रहें अर्थात विपक्षी उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार होकर जो उक्त हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार काबिज हो काश्त कर रहें है विपक्षी संख्या 2 देवा, विपक्षी संख्या 5 गौतम मृत्यु हो जाने के बाद उनके हिस्से पर उनके वारिस क्रमश विपक्षी संख्या 2/1 से 2/5 तथा विपक्षी संख्या 5/1 से 5/4 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

12. यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा अधिकार एवं अधिपत्य नहीं होते हुए भी वो बैवजह विपक्षी को मिथ्या आधार लेकर दखलदांजी करने पर उतारू हो विपक्षी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी के अधिकारों को चुनौती देते हुए उन्हें उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमान्दा है जिससे प्रार्थीया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

13. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनाग्रस्ता आराजी में विपक्षीगण को कब्जा होने का लेख गलत होकर अस्वीकार हैं वास्तविकता में आराजी न. 567 व 568 को 3/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2000 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2007 को विपक्षी संख्या 1 से प्रार्थीया ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया इसके साथ ही आ.चा. न. 569 के 3/8 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। क्रय की दिनांक 07.09.2000 से 12.07.2007 तक प्रतिवादी संख्या 1 काबिज था एवं दिनांक 12.07.200 से आज तक वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीया काबिज हो काश्त करवा रही हैं। तः कब्जे शुद्धा आराजी की पिलाई भी आ.चा. न. 569 से कर रही हैं। उक्त वादग्र आराजीयात पर अन्य किसी का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं वक्त विक्रय आराजी 567 व 568 के स्थान पर आराजी न. 607/2 रकबा 7 विघा 6 बिस्वा अंकित कर दि गया जो सहवन से लिपिकीय त्रुटि हैं जिसके लिये प्रार्थीया द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तु किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है न कोई कब्जा हैं। अतः काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

14. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभ पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में उपतहसीलदार भीण्डर की मौका रिपो का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शप पत्र श्री मांगीलाल पिता पृथ्वीराज अहीर, श्री नन्दलाल पिता वरदा जी अहीर, भुरालाल पिता चुन्नीलाल जी अहीर, श्री रमेशचन्द्र पिता गोपीलाल अहीर, श्री गौतमल पिता धुलचन्द महाजन का पेश किया गया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब समर्थन में शपथ पत्र श्री [illegible] अहीर, श्री नारायणलाल पिता दौला अही श्री नाहरसिंह पिता [illegible] पिता शिवसिंह शक्तावत, शान्तिलाल पिता दौला [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थ पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

i. RRT 2003(1) HIGH COURT SUKKHA SINGH AND AHIR VS MAHAL SINGH AND AHIR
ii. RRT BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER DURGALAL VS URMILA

अप्रार्थीगण विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :–

i. RRT 2023(1) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER CHATURBHUJ VS RANGLAL AND ORS.
ii. RRT 2014-15(SUPP.) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER TARACHAND VS KRIPA RAM
iii. RRT 2020(1) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER SHEOJI & ORS. VS. BISHAN SINGH & ORS.
iv. RRT 2013(1) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER SABILA (SMT.) & ORS. VS. LAXMAN & ORS.
v. RRT 2024(1) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER DURGARAM VS. SMT. BHANWARI & ORS

15 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा मूलवाद घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 567, 568 का 3/8 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2, 3, 4 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2000 को क्रय किया किन्तु मौके पर विपक्षी संख्या 2 से 4 का हिस्सा आराजी न. 568 में होने के कारण विपक्षी संख्या 2 से 4 ने विपक्षी संख्या 1 को आराजी न. 568 का 3/4 हिस्सा सिपुर्द किया साथ ही आराजी न. 569 रकबा 10 बिस्वा आ.चा. का 3/8 हिस्सा भी विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आराजी न. की पिलाई हेतु क्रय किया। विपक्षी संख्या 1 से आराजी न. 567, 568 का 3/8 हिस्सा यानि आराजी न. 568 का 3/4 हिस्सा प्रार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2007 क्रय किया तथा कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थीया के कथनानुसार जब विपक्षी संख्या 1 ने उक्त आराजी को क्रय किया तब रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में सहवन से आराजी न. 567, 568 के स्थान पर आराजी न. 607/2 का अंकन हो गया जबकि कब्जा आराजी न. 568 के 3/4 हिस्से पर सिपुर्द किया गया एवं आराजी न. 568 का 3/4 हिस्सा ही क्रय किया गया किन्तु जब सहवन से आराजी न. 607/2 रकबा 7 विघा 6 बिस्वा विपक्षी 1 के नाम पर आई उसी आराजी का अंकन प्रार्थीया द्वारा लिखाये गये विक्रय पत्र में भी अंकन हो गया एवं इसी प्रकार नामान्तरण भी विक्रय पत्र के आधार पर गलत पास हो गया। उक्त [illegible] अंकन के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा होने से प्रार्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी द्वारा कहें गये कथन का खण्डन किया गया। प्रकरण मे प्रथम दृष्टया प्रार्थनागरत भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 2 से 6 हैं किन्तु वादी के वाद का आधार ही घोषणा का हैं जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में गलत अंकन होने से वाद पेश किया गया हैं उक्त गलत अंकन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में जब हम उपतहसीलदार भीण्डर की मौका रिपोर्ट से पाया की आराजी न. 567, 568 में रामलाल पिता भागु 1/2 तथा 3/8 हिस्से पर कला उर्फ कमला द्वारा काश्त करना बताया जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के कथन को बल मिलता है की प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी के 3/8 हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थीया द्वारा आराजी न. 567, 568 के साथ आराजी न. 569 रकबा 10 बिस्वा आ.चा. भी क्रय किया जिससे आराजी न. 567, 568 की पिलाई हेतु क्रय किये जाने का कथन किया। उक्त आराजी पास पास होने से प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता हैं कि प्रार्थीया ने आराजी न. 568 के 3/4 हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया। आराजी न. 607/2 आराजी न. 569 से काफी दुर हैं आराजी न. 607/2 की पिलाई आराजी न. 569 आ.चा. से नहीं की जा सकती। उपतहसीलदार भीण्डर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आराजी न. 607/2 के उत्तरी 1/2 भाग पर खातेदार रामलाल पिता भागु अहिर द्वारा काश्त करना बताया तथा शेष 1/2 भाग पडत पडा हुआ बताया जिससे भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र की दर्ज दिनांक 13.06.2012 के 12 वर्षो बाद अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया इससे भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। अगर विपक्षी उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर काबिज है तो इतने लम्बे समय तक जवाब प्रस्तुत क्यों नहीं किया। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **सुविधा संतुलन :–**प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों पर बगौर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात 567, 568 का 3/8 हिस्सा यानि आराजी न. 56[illegible] [illegible]/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 द्वारा क्रय किया किन्तु सहवन से रजिस्[illegible] विक्रय पत्र [illegible] आराजी संख्या 567, 568 के स्थान पर आराजी संख्या 607/2 का अं[illegible] [illegible] कब्जा आराजी न. 568 के 3/4 हिस्से पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त किया। आगे चल कर इसी गलत आराजी का अंकन प्रार्थीया द्वारा लिखाये गये विक्रय पत्र में भी हो गया जबकि कब्जा आराजी न. 568 के 3/4 हिस्से पर ही प्राप्त किया जिससे प्रार्थीया द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थीया के कथन का खण्डन किया गया। प्रकरण में उपतहसीलदार भीण्डर की मौका रिपोर्ट से पाया की आराजी न. 567, 568 में रामलाल पिता भागु 1/2 तथा 3/8 हिस्से पर कला उर्फ कमला द्वारा काश्त करना बताया जिससे प्रार्थीया के कथन को बल मिलता है की प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी के 3/8 हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थीया द्वारा आराजी न. 567, 568 के साथ आराजी न. 569 रकबा 10 बिस्वा आ.चा. भी क्रय किया जिससे आराजी न. 567, 568 की पिलाई हेतु क्रय किये जाने का कथन किया। उक्त आराजी पास पास होने से प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि प्रार्थीया ने आराजी न. 568 के 3/4 हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया। आराजी न. 607/2 आराजी न. 569 से काफी दुर हैं आराजी न. 607/2 की पिलाई आराजी न. 569 आ.चा. से नहीं की जा सकती। उपतहसीलदार भीण्डर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आराजी न. 607/2 के उत्तरी 1/2 भाग पर खातेदार रामलाल पिता भागु अहिर द्वारा काश्त करना बताया तथा शेष 1/2 भाग पडत पडा हुआ बताया जिससे भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र दं. दर्ज दिनांक 13.06.2012 के 12 वर्षो बाद अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया इससे भी प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। अगर विपक्षी उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर काबिज है तो इतने लम्बे समय तक जवाब प्रस्तुत क्यों नहीं किया।

प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहें गये कथनों को व विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में अंकित कथनों को मूलवाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता हैं। इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु के आधार पर निर्णय करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जा चुके हैं। अगर प्रकरण में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया की बेदखली संभव है इसके समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT2003(1) High court sukkha singh & Anr vs. Mahal singh & Anr हुबहु चस्पा होता है जिसमें बताया कि " प्रथम दृष्टया मामला प्रथम दृष्टया स्वत्व से भिन्न —आर 2 ने कब्जा स्वीकार किया—अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला—गम्भीर एवं विचारणीय प्रश्न अपीलाण्ट ने उठाये—सुविधा सन्तुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में है—यदि अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नही की जाती है तो अपीलान्ट की बेदखली संभव है तथा अपीलाण्ट का अपूर्तनीय क्षति होगी— विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रतिकुल हैं तथा

अपीलाण्ट का अपूर्तनीय क्षति होगी— विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रतिकुल हैं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested

आपारत किया एवं वाद के निर्णय तक पक्षकारों को यथावत स्थिति रखे जाने का निर्देश दिया। " अतः मूलवाद के निस्तारण तक किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचने के लिये प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हमेरपुरा पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2050–53 की आराजी न 568 रकबा 4 विघा 5 बिस्वा भूमि में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कलम न. 1 में वर्णित हिस्से अनुसार भूमि में विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, प्रार्थीया को स्वयं या अन्य किसी नौकर चाकर या अन्य किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:29 IST
Reason: SelfAttested